



# जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक बैठक शाखा / प्र.प. / पी.एस.आर. / 2024 / 1390

दिनांक 19 / 3 / 2024

## “अधिसूचना”

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिषद की 193वीं बैठक दिनांक 17.05.2023 में प्रस्तुत (ए.टी.आर.) WPC पद क्रमांक दो, अतिथि गृहों एवं कृषक भवन की संशोधित दरें प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही संबंधित व्यक्तियों से पहचान पत्र प्राप्त करने उपरांत आवंटित किए जाने बावत् निर्देशित किया गया है।

निम्नानुसार नवीन संशोधित दरें अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी।

### 1. अतिथि गृहों हेतु :-

| क्र. | आगतुक / अधिकारी / कर्मचारी के कार्य संबंधित   | प्रशासनिक परिषद की 145वीं बैठक में स्वीकृत दरें दिनांक 15.5.2014 | प्रशासनिक प. की 193वीं बैठक दि. 17.5.2023 में अनुमोदित नवीन दरें |
|------|---|--|--|
| 1.   | भारत सरकार (आई.सी.ए.आर.) / म.प्र. शासन एवं वि.वि. कर्मचारी को शासकीय कार्य से                       | <b>नर्मदा अतिथि गृह</b>  |  |
|      |   | वि.वि. कर्मचारी 1000 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)              | वि.वि. कर्मचारी 1000 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)              |
|      |   | अन्य कर्मचारी 1500 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                | अन्य कर्मचारी 1500 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                |
|      |   | <b>बैनगंगा अतिथि गृह</b>   |  |
|      |   | वी.आई.पी. रूम 400 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                 | वी.आई.पी. रूम 500 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                 |
|      |   | <b>ताप्ती अतिथि गृह</b>  |  |
|      |   | सर्किट हाउस 400 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                   | सर्किट हाउस 400 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                   |
|      | रेस्ट हाउस 150 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)   | रेस्ट हाउस 200 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                    |  |
| 2.   | उपरोक्त (1) सूची में वर्णित (आई.सी.ए.आर. / विश्वविद्यालय) कर्मचारी द्वारा स्वतः गैर शासकीय कार्य से | <b>बैनगंगा अतिथि गृह</b>   |  |
|      |   | वी.आई.पी. कमरे 750 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                | वी.आई.पी. कमरे 300 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                |
|      |   | <b>ताप्ती अतिथि गृह</b>  |  |
|      |   | सर्किट हाउस 750 / -  | सर्किट हाउस 300 / -  |
|      | रेस्ट हाउस 250 / -  | रेस्ट हाउस 150 / -   |  |
| 3.   | कर्मचारी के साथ अन्य अतिथियी / अशासकीय व्यक्तिगत उपयोग हेतु   | <b>बैनगंगा अतिथि गृह</b>   |  |
|      |   | वी.आई.पी. कमरे 750 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                | वी.आई.पी. कमरे 750 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                |
|      |   | <b>ताप्ती अतिथि गृह</b>  |  |
|      |   | सर्किट हाउस 750 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                   | सर्किट हाउस 750 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                   |
|      | रेस्ट हाउस 250 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)   | रेस्ट हाउस 250 / -<br>(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)                    |  |

2. कृषक भवन हेतु :-

| क्र. | भवन का नाम                   | प्रशासनिक परिषद की 162वीं बैठक में दिनांक 13.1.2017 को स्वीकृत दर | प्रशासनिक परिषद की 193वीं बैठक दि. 17.5.2023 में अनुमोदित नवीन दरें |
|------|------------------------------|---|---|
| 1.   | शास्त्री भवन                 | शासकीय कार्य हेतु   |   |
|      | 1. ट्रेनर रूम                | 200/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन                                       | 300/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन   |
|      |                              | अशासकीय कार्य हेतु (व्यक्तिगत)                                    |   |
|      |                              | 200/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन                                       | 500/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन   |
|      | 2. डॉरमेट्री हॉल             | शासकीय कार्य हेतु   |   |
|      |                              | 50/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन  | 100/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन   |
|      |                              | 100/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन                                       | 150/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन   |
|      |                              | अशासकीय कार्य हेतु (व्यक्तिगत)                                    |   |
|      |                              | 2000/- प्रति डॉरमेट्री  | 3000/- प्रति डॉरमेट्री  |
|      | 3. डायनिंग हॉल / इंटरफेस हॉल | शासकीय कार्य हेतु   |   |
|      |                              | 2000/- प्रति हॉल  | 3000/- प्रति हॉल  |
|      |                              | अशासकीय कार्य हेतु (व्यक्तिगत)                                    |   |
|      |                              | 3000/- प्रति हॉल  | 5000/- प्रति हॉल  |

नोट: कृषक भवन में केवल ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था ही की जा सकेगी। कोई भी वैवाहिक/सामाजिक/धार्मिक कार्य की अनुमति नहीं होगी।

पृ. क्रमांक बैठक शाखा/प्र.प./पी.एस.आर./2024/1391

दिनांक 19/3/2024

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. लेखानियंत्रक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता कृषि संकाय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. संचालक अनुसंधान सेवार्यें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. संचालक विस्तार सेवार्यें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. संचालक शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. संचालक प्रक्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जबलपुर/रीवा/टीकमगढ़/गंजबसौदा/पवारखेड़ा/सागर
8. अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
9. कार्यपालन यंत्री, निर्माण विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. माननीय कुलपति जी के निज सचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. समस्त प्रशिक्षण आयोजक, समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र।
13. सहायक यंत्री (एम.)/सहायक यंत्री (विद्युत), निर्माण विभाग, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
14. बैठक शाखा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव

o/c